अनुदान संख्या 91 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 91–MINISTRY OF STEEL

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	104,02,00	507,10,00	480,76,71	–26,33,29
पूरक	Supplementary	403,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				26,12,19
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	15,50,00	267,55,00	260,04,41	–7,50,59
पूरक	Supplementary	252,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,50,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451’’ सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head “3451” Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1391.00	1603.80	1593.02	–10.78
पू.	S.	288.00			
पु.	R.	–75.20			
मुख्य शीर्ष “2852’’ उद्योग	Major Head “2852” Industries				
मू.	O.	9011.00	46494.01	46483.69	–10.32
पू.	S.	40020.00			
पु.	R.	–2536.99			

(I) 1850.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए स्कीम'' के अंतर्गत एक मामले में वित्त मंत्रालय के परामर्श पर स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - इस्पात मंत्रालय'' के अंतर्गत 1391.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को अक्तूबर, 2008 में 288.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1679.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 85.98 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''लौह एवं इस्पात उद्योग - विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंको से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत 716.50 लाख रु. की बचत (5602.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बजट विहित से कम दर पर ब्याज आर्थिक सहायता जारी किए जाने और कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम कर्जों की उगाही न किए जा सकने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 76.51 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (130.20 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''लौह एवं इस्पात उद्योग - विनिर्माण - कर्ज बट्टे खाते डालना - भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड'' के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 40020.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 130.00 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Provision of Rs.1850.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2852" – "General – Other Expenditure - Scheme for Promotion of Research and Development in Iron and Steel Sector" – due to non-implementation of the scheme on advice from the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Steel" – the original provision of Rs.1391.00 lakhs was augmented to Rs.1679.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.288.00 lakhs in October, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.85.98 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2852" - " Iron and Steel Industries – Manufacture - Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – saving of Rs.716.50 lakh (against the sanctioned provision of Rs.5602.00 lakh) was due to release of interest subsidy at lower rate than budgeted and inability of the company to raise proposed Voluntary Retirement Scheme loans.

(IV) Under one head saving of Rs.76.51 lakhs occurred constituting 48 percent of the sanctioned provision. .

2. The above savings were partly (Rs.130.20 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.40020.00 lakhs in February, 2009 under Major Head "2852" - "Iron and Steel Industries – Manufacture – Write off of Loan – Bharat Refractories Ltd." . Actual excess, however, was Rs.130.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4852'' लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4852" Capital Outlay on Iron and Steel Industries				
मू.	O.	25205.00	26005.00	26004.41	–0.59
पु.	R.	800.00			
मुख्य शीर्ष ''6852'' लौह तथा इस्पात उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6852" Loans for Iron and Steel Industries				
मू.	O.	1550.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1550.00			

(I) 1551.00 लाख रु. का प्रावधान (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 1450.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''6852'' - ''विनिर्माण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड'' - 800.00 लाख रु. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड का विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के साथ किए जाने के कारण थे।

(खा) ''हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड'' - 650.00 लाख रु. वित्त मंत्रालय द्वारा कर्ज को जारी करने के लिए विशेष वितरण को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण थे।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (800.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4852'' - ''विनिर्माण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा

(I) Provision of Rs.1551.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in February, 2009) remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1450.00 lakhs accounted for under Major Head "6852" – "Manufacture - Loans to Public Sector and Other Undertakings" – under the following heads:-

(A) "Bharat Refractories Limited" – Rs.800.00 lakhs – due to merger of Bharat Refractories Limited with Steel Authority of India Limited.

(B) "Hindustan Steelworks Construction Limited" – Rs.650.00 lakhs – due to non-acceptance of grant of special dispensation for release of loan by the Ministry of Finance.

4. The above savings were partly (Rs.800.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re- appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.25205.00 lakhs in February, 2009 under Major

बोनस शेयरों को जारी किया जाना'' के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 25205.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 800.41 लाख रु. था।

Head "4852" - "Manufacture - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Issue of Bonus shares by NMDC Ltd.". Actual excess, however, was Rs.800.41 lakhs.